न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 185 / 2020
केदारसिंह पुत्र भगवानाराम, उम्र 74 वर्ष, निवासी मिठवास, तहसील व जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र भगवानाराम, उम्र 70 वर्ष, निवासी मिठवास, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. परसाराम पुत्र भगवानाराम, उम्र 68 वर्ष, निवासी मिठवास, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. केशरदेव पुत्र भगवानाराम, उम्र 60 वर्ष, निवासी मिठवास, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. तहसीलदार, तहसील कार्यालय, झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट्स

––

अपील अ0धा0 75 (भू0 राजस्व अधि0) बखिलाफ नामान्तरकरण आदेश तहसीलदार झुंझुनूं नामान्तरकरण संख्या 245 दिनांक 01.11.2003 व नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 15.01.2007 ग्राम मीठवास

––

1. श्री विक्रम दुलड, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री कंचन सिंह, एडवोकेट–रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 3 की ओर से।
3. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– राज्य सरकार (रेस्पो0 सं0 4) की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 04.10.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश नामान्तरकरण संख्या 245 दिनांक 01.11.2003 व नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 15.01.2007 भूमि ग्राम मीठवास के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र मि0अ0 दफा 5 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र मि0अ0 दफा 5 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है कि अदालत मातहत तहसीलदार महोदय झुंझुनूं द्वारा आलोच्य निर्णय दिनांक 01.11.2003 व 15.01.2007 बखिलाफ व कानून पत्रावली है। ग्राम मीठवास तहसील व जिला झुझुनू की सरहद में भूमि स्थित है जो निम्न प्रकार है।

हाल ख.न.	क्षेत्रफल	गत ख.नं.	क्षेत्रफल
234	0.08 हैक्ट	81 / 2	–
243	0.01 हैक्टर	81 / 1	7 बीघा 10बिस्वा
244	हैक्टर	81 / 1	–
245	0.03 हैक्टर	81 / 1	–
246	हैक्टर	81 / 1	–
247	0.06 हैक्टर	81 / 2	–

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

299	1.39 हैक्टर	95/2	5 बीघा 10बिस्वा
310	0.12 हैक्टर		10 बिस्वा
444	हैक्टर	156	27बीघा 10बिस्वा

प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 सहखातेदार काश्तकार है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 का पिता भगवानाराम 1/2 हिस्से का खातेदार व कब्जा काश्तकार था। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड भगवाना राम पुत्र गणेशाराम निवासी मिठवास के नाम संवत 2042 से 2044 व 2046 से 2049 तक दर्ज व कब्जे काश्त रहा है। भगवानाराम की मृत्यु दिनांक 01.02.1999 को हो चुकी है। भगवाना राम का सजरा निम्न प्रकार से है:-

भगवाना (फौत)

जैता देवी	केदारसिंह	मूलचन्द	परसाराम	केशरदेव
पत्नी (फौत)	पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्र

दिनांक 01.03.1999 को भगवानाराम को फौत होने पर प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में भगवानाराम के वारिस बहिस्सा बराबर 1/5 हिस्से के खातेदार व कब्जा काश्त हुये। परन्तु नामान्तरकरण संख्या 245 दिनांक 01.11.2003 को दर्ज करते समय न ही तो खसरा नम्बर दर्ज किये गये व न ही अपीलान्ट के नाम नामान्तरण दर्ज किया गया व न ही यह दर्ज किया गया कि भगवानाराम के वारिसान के हिस्से में कितनी जमीन का नामान्तरण दर्ज किया गया है। इस कारण नामान्तरण संख्या 245 अपीलान्ट के हितों के विपरीत है। दिनांक 05.11.2005 को भगवानाराम की पत्नी जैतादेवी के फौत होने के पश्चात् प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 299 रकबा 1.30 हैक्टर ख0नं0 310 रकबा 0.12 है, ख0नं0 444 का नामान्तरण संख्या 39 दिनांक 15.01.2007 को तहसीलदार महोदय झुझुनू द्वारा दर्ज किया गया जिसमे अपीलान्ट को केवल जैतादेवी के हक हिस्से में से 1/16 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया न कि भगवानाराम के हक हिस्से में खातेदार घोषित किया गया जो कि गलत नामान्तरकरण दर्ज किया गया है व दिनांक 15.01.2007 को ही नामान्तरण संख्या 40 बाबत हाल खसरा नम्बर 234, 243, 244, 245, 246, 247 में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 3 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है जो कि सही दर्ज किया गया है। चूंकि तहसीलदार महोदय झुंझुनूं की ओर से नामान्तरकरण संख्या 243 दिनांक 01.11.2003 व नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 15.01.2007 अपीलान्ट के हितो के विपरीत है। अपीलान्ट को दिनांक 01.11.2003 के नामान्तरकरण आदेश सख्या 245 में खसरा नम्बर दर्ज कर 1/5 व नामान्तरकरण आदेश संख्या 39 दिनांक 15.01.2007 में 1/4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित था परन्तु अदालत मातहत ने ऐसा आदेश पारित न कर गलत नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा पारित आलोच्य निर्णय नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 01.11.2003 व 245 दिनांक 15.01.2007 वाके ग्राम मीठवास को निरस्त फरमाया जावे व दिनांक 01.11.2003 के नामान्तरण संख्या 39 व 15.01.2007 के नामान्तरण संख्या 245 को पुनः दर्ज किया जाकर भगवानाराम के वारिसान में बहिस्सा बराबर 1/4 प्रत्येक के नाम नामान्तरण दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया किप्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 सहखातेदार काश्तकार है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 का पिता भगवानाराम 1/2 हिस्से का खातेदार व कब्जा काश्तकार था। प्रार्थना पत्र की धारा 2

में वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड भगवाना राम पुत्र गणेशाराम निवासी मिठवास के नाम संवत 2042 से 2044 व 2046 से 2049 तक दर्ज व कब्जे काश्त रहा है। भगवानाराम की मृत्यु दिनांक 01.02.1999 को हो चुकी है। दिनांक 01.03.1999 को भगवानाराम को फौत होने पर प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में भगवानाराम के वारिस बहिस्सा बराबर 1/5 हिस्से के खातेदार व कब्जा काश्त हुये। परन्तु नामान्तरकरण संख्या 245 दिनांक 01.11.2003 को दर्ज करते समय न ही तो खसरा नम्बर दर्ज किये गये व न ही अपीलान्ट के नाम नामान्तरण दर्ज किया गया व न ही यह दर्ज किया गया कि भगवानाराम के वारिसान के हिस्से में कितनी जमीन का नामान्तरण दर्ज किया गया है। इस कारण नामान्तरण संख्या 245 अपीलान्ट के हितों के विपरीत है। दिनांक 05.11.2005 को भगवानाराम की पत्नी जैतादेवी के फौत होने के पश्चात् प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 299 रकबा 1.30 हैक्टर ख0नं0 310 रकबा 0.12 है, ख0नं0 444 का नामान्तरण संख्या 39 दिनांक 15.01.2007 को तहसीलदार महोदय झुझुनू द्वारा दर्ज किया गया जिसमे अपीलान्ट को केवल जैतादेवी के हक हिस्से में से 1/16 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया न कि भगवानाराम के हक हिस्से में खातेदार घोषित किया गया जो कि गलत नामान्तरकरण दर्ज किया गया है व दिनांक 15.01.2007 को ही नामान्तरण संख्या 40 बाबत हाल खसरा नम्बर 234, 243, 244, 245, 246, 247 में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 3 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है जो कि सही दर्ज किया गया है। चूंकि तहसीलदार महोदय झुंझुनूं की ओर से नामान्तरकरण संख्या 243 दिनांक 01.11.2003 व नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 15.01.2007 अपीलान्ट के हितो के विपरीत है। अपीलान्ट को दिनांक 01.11.2003 के नामान्तरकरण आदेश सख्या 245 में खसरा नम्बर दर्ज कर 1/5 व नामान्तरकरण आदेश संख्या 39 दिनांक 15.01.2007 में 1/4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित था परन्तु अदालत मातहत ने ऐसा आदेश पारित न कर गलत नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा पारित आलोच्य निर्णय नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 01.11.2003 व 245 दिनांक 15.01.2007 वाके ग्राम मीठवास को निरस्त फरमाया जावे व दिनांक 01.11.2003 के नामान्तरण संख्या 39 व 15.01.2007 के नामान्तरण संख्या 245 को पुनः दर्ज किया जाकर भगवानाराम के वारिसान में बहिस्सा बराबर 1/4 प्रत्येक के नाम नामान्तरण दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 3 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का कोई विरोध न कर नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 01.11.2003 व नामान्तरकरण संख्या 245 दिनांक 15.01.2007 वाके ग्राम मीठवास को निरस्त कर दिनांक 01.11.2003 के नामान्तरण संख्या 39 व 15.01.2007 के नामान्तरण संख्या 245 को पुनः दर्ज किया जाकर भगवानाराम के वारिसान में बहिस्सा बराबर 1/4 प्रत्येक के नाम नामान्तरण दर्ज किये जाने मे कोई आपत्ति नही की।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा भरे गये नामान्तरकरण नियमानुसार भरे गये है जिसमे कोई त्रुटि नही है। अपीलान्ट द्वारा एक साथ 2 नामान्तरकरण आदेशों की अपील की जो गलत है। नियमानुसार 2 नामान्तरकरण आदेश की 2 अलग–अलग अपील पेश करनी चाहिए थी। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त करवाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अदालत मातहत द्वारा नामान्तकरण संख्या 245 पर भगवानाराम का देहान्त होने पर आदेश दिनांक 01.11.2003 व नामान्तकरण संख्या 39 पर जैता देवी का देहान्त होने पर आदेश दिनांक 15.01.2007 पारित किया है। प्रकरण में अहम तथ्य निम्न प्रकार से है यथा :–

1. अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण संख्या 245 दिनांक 01.11.2003 तथा नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 15.01.2007 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 20.10.2020 को प्रस्तुत की है। अपीलान्ट ने इस

संबंध में तर्क दिया है कि उसके द्वारा भूमि पर ऋण लेने हेतु जमाबन्दी नकल प्राप्त करने पर उक्त नामान्तकरण की जानकारी हुई। अपीलान्ट द्वारा बताया जा रहा देरी का कारण स्पष्ट नहीं है। परन्तु न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण उसकी पूर्ण सुनवाई के बाद किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील प्रस्तुत करने हुई देरी को कण्डोन किया जाता है।

2. अदालत मातहत द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 245 दिनांक 01.11.2003 तथा नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 15.01.2007 के संबंध में अपीलान्ट का तर्क रहा है कि नामान्तकरण संख्या 245 दिनांक 01.11.2003 तस्दीक करते समय अदालत मातहत द्वारा नामान्तकरण में न तो भगवानाराम का वारिस होते हूऐ अपीलान्ट के नाम का अंकन किया और न ही दर्ज नामान्तरकरण में हिस्सों का अंकन किया। इसी प्रकार अदालत मातहत ने नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 15.01.2007 तस्दीक करते समय अपीलान्ट के हिस्से में 1/16 का अंकन किया गया है तथा अन्य वारिसान का हिस्सा में 5/16 का अंकन किया गया है। नामान्तकरण संख्या 40 दिनांक 15.01.2007 में भगवानाराम के फौत होने उसके विधिक वारिसान के 1/2 हिस्से का अंकन किया गया है, जिसे सही माना है। रिकार्ड मातहत के अवलोकन से अपीलान्ट के तर्क उचित प्रतीत होते है। नामान्तकरण संख्या 245 दिनांक 15.01.2007 में भगवानाराम का देहान्त होने पर उसके सभी वारिसान के नाम का अंकन करते हुये बराबर – बराबर हिस्सा अंकित करना चाहिए था तथा नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 01.11.2003 में भी अदालत मातहत द्वारा बराबर हिस्सों का अंकन न कर अपीलान्ट के हिस्से में 1/16 तथा रेस्पोडेन्टस 1 लगायत 3 के 5/16 हिस्से का अंकन किया है अर्थात अदालत मातहत द्वारा उक्त दोनों नामान्तकरण तस्दीक करते समय त्रुटि की गई है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। रेस्पोडेन्टस ने भी उक्त भूमि अपना 1/4 हिस्सा माना है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 245 पर पारित आदेश दिनांक 01.11.2003 तथा नामान्तकरण संख्या 39 पर पारित आदेश दिनांक 15.01.2007 निरस्त किया जाता है तथा आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि अदालत मातहत प्रकरण में वारिसान की जांच कर, मौके पर हिस्सों की जांच कर तथा दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर कैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/10/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं